न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4379/2004/जालौर

1— शंकर पुत्र श्री धन्ना जी, जाति चौधरी, निवासी पिपरला की ढ़ाणी, तहसील आहोर, जिला जालौर।

...अपीलान्ट

बनाम

1— श्रीमती सुकी पुत्री मोड़ाजी पत्नि भूराजी चौधरी, निवासी भाद्राजून की ढ़ाणी तहसील आहोर, जिला जालौर।
2— श्रीमती वरजू पुत्री मोड़ाजी पत्नि हिमताजी, निवासी निम्बला की ढ़ाणी, तहसील आहोर, जिला जालौर।
3— श्रीमती आसी पुत्री मोड़ाजी चौधरी, निवासी रामा, तहसील आहोर, जिला जालौर।
4— नवीया पुत्र जोगा चौधरी, निवासी पिपरला की ढ़ाणी, तहसील आहोर, जिला जालौर।
5— सूजीया पुत्र जोगा चौधरी, निवासी पिपरला की ढ़ाणी, तहसील आहोर, जिला जालौर।
6— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, आहोर, जिला जालौर।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री एल.एस.माथुर, अभिभाषक अपीलान्ट।
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स ।

————————

निर्णय

दिनांकः— 21.09.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.09..2004 जो की विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प, जालौर ने अपील संख्या 111/2001 में पारित किया गया के प्रस्तुत की गई।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट/वादीया संख्या 1 श्रीमती सुकी पुत्री मोड़ाजी ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 एवं 53 के तहत विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), जालौर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर वादीया को विवादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए जिसमें से मात्र प्रतिवादी/अपीलांट शंकर पुत्र श्री धन्ना जी ने ही उक्त वाद के समस्त कथनों से इंकार करते हुए अपनी ओर से जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र एवं जबावदावे मय काउण्टर क्लेम के आधार पर वाद में कुल 6 तनकीयात कायम करते हुए एवं संपूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर वादीया एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए वादीया का वाद विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), जालौर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2001 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प, जालौर के समक्ष प्रस्तुत की। जिन्होंने वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 की अपील अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2004 को स्वीकार कर वाद डिक्री फरमा दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— हमनें पक्षकारान के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं संपूर्ण रिकार्ड एवं दस्तावेजों को बिना अवलोकन कर गैरकानूनी रूप से पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का बिना स्वःविवेक मध्यनजर रखे ही गैर कानूनी एवं अपने मनमर्जी के आधार पर निर्णय राजस्व रिकार्ड के बाहर जाकर पारित किया है, जो निराधार व गलत है क्योंकि उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था जिसको वादीया सिद्ध नहीं कर पाई क्योंकि विवादग्रस्त आराजीयात मोड़ा वल्द जुवाना की स्वयं की खातेदारी की भूमि थी जो पैतृक अर्थात् पुश्तैनी नहीं थी बल्कि स्वयं मोड़ा वल्द जुवाना की स्वःअर्जित सम्पत्ति थी, क्योंकि वादीया ने अपना वाद पुश्तैनी भूमि के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि वाद के साथ ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे सिद्ध हो कि विवादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी

भूमि हो। जिसका पूर्ण विवेचन विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के तनकी संख्या 1 में किया है। जो वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी. 1 जमाबंदी संवत् 2015–18, प्रदर्श पी. 3 जमाबंदी नकल संवत् 2019–22, प्रदर्श पी. 4 जमाबंदी संवत् 2023–26, प्रदर्श पी. 5 जमाबंदी संवत् 2026–30, प्रदर्श पी. 1 जमाबंदी संवत् 2045–48 में विवादग्रस्त आराजीयात मोड़ा वल्द जवाना के 1/2 हिस्से की खातेदारी में दर्ज होना सिद्ध है जबकि वादीया ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे सिद्ध हो कि विवादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हो। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 05.05.1972 जो दिनांक 06.07.1972 को पंजीकृत किया गया। उक्त पंजीकृत बक्शीशनामा अपीलांट शंकर की माता श्रीमती अणसी के हक में तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् भी विद्वान परीक्षण न्यायालय ने भू0अ0 जिला कलक्टर, कार्यालय जालौर से उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से संबंधित राजस्व रिकार्ड मिसल बंदोबस्त् संवत् 2009 से 2028 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009–28 के कॉलम संख्या 1 में मोड़ा वल्द जुवाना एवं जोगा वल्द चमना के नाम सह खातेदार दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड की गहनता से विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अवलोकन कर उक्त तनकी का निर्णय पारित किया है जिसको विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किए ही परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने में कानून के विपरीत अपना निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि मोडा वल्द जवान चौधरी का विवादग्रस्त आराजियात में अपना 1/2 हिस्सा निहित था जिसको अपने जीवनकाल में ही दिनांक 05.05.1972 को अपनी पुत्री अणसी की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर उसके पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीशनामा निष्पादित कर दिया था जो दिनांक 6.7.1972 को पंजीकृत किया गया । मोडा वल्द जवान चौधरी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त बख्शीशनामा प्रभाव में आने से विवादित आराजी अपीलांट शंकर पुत्र धन्ना चौधरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई जबकि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त वाद पैत्रिक भूमि के आधार पर प्रस्तुत किया जो उक्त वाद को सिद्ध करने में स्वंय असफल रही है। इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वःअर्जित सम्पति संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने बाबत् निर्णय पारित किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रतिवादी/अपीलांट के नाम नामांतकरण तस्दीक किया गया उसे अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है एवं ना ही उक्त नामांतकरण को निरस्त कराया गया है । परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड व मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर व साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया था

जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प जालोर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.9.2004 को निरस्त किया जावे तथा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) जालोर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.7.2001 बहाल रखा जावे । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 (1) आर0आर0टी0 पेज 19 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प जालौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.9.2004 विधिसम्मत् है । परीक्षण न्यायालय ने वादिया का वाद विवादित भूमि को मोडा की स्वअर्जित मानते हुए खारिज किया था जबकि विवादित आराजियात राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने के समय पुश्तैनी भूमि रेस्पो0 के पिता मोडा पुत्र जवाना 1/2 हिस्सा व जोगा पुत्र चमना 1/2 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज थी । जोगा पुत्र चमना का देहांत होने पर उसके वारिसान नवीया व सूजिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए गए । रेस्पो0के पिता मोडा के कोई जायंदा पुत्र नहीं था मात्र चार पुत्रियां ही थी । अतः मोडा के हिस्से की भूमि मोडा के देहांत के बाद उसकी चारों पुत्रियों के नाम राजस्व रिकार्ड मं दर्ज होनी चाहिये थी । किन्तु संवत् 2037 में उक्त मोडा का देहांत होने पर उसके हिस्से की भूमि बाबत् मोडा की पुत्रियों के स्थान पर शंकर पुत्र धनाजी का नाम दर्ज कर दिया गया । मोडा के हिस्से की भूमि पर उसकी चारों पुत्रियों का ही कब्जा काश्त रहा है । जहां तक अपीलांट के नाम दर्ज नामांतकरण का प्रश्न है, नामांतकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे आधार पर खातेदारी अधिकारों का सृजन नहीं होता है । विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से अपीलीय न्यायालय ने वादिया/रेस्पो0 का वाद स्वीकार किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5— हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

6— पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने सहायक कलक्टर (मुख्या0) जालौर के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजियात वाके मौजा पिपरला की ढाणी (गोविन्दला) तहसील आहोर वादिया एवं प्रतिवादीगण एवं शेष रेस्पो0 की पैत्रिक आराजियात है जिसमें वादिया के पिता मोडा पुत्र जवाना का 1/2 हिस्सा तथा जोगा पुत्र चमना का 1/2 हिस्सा दर्ज था । जोगा पुत्र चमना का का देहांत होने पर उसके वारिसान नवीया व सूजीया को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया किन्तु वादिया के पिता मोडा के हिस्से की भूमि मोडा के देहांत के पश्चात्

उसकी चारों पुत्रियों के नाम दर्ज न कर शंकर पुत्र धन्ना के नाम दर्ज कर दी गई । परीक्षण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 6 तनकियात कायम की है । परीक्षण न्यायालय ने वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद विवादित आराजियात को मोडा की स्वअर्जित होना मानकर तथा स्वीकृत नामांतकरण को चुनौती नहीं दिये जाने के आधार पर खारिज किया है।

8— वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने वाद के समर्थन में परीक्षण न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत् 2045 से 2048, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत् 2015 से 2018, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत् 2019 से 2022, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 एवं प्रर्दश 5 नकल जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 पेश की है । उक्त नकल जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 369, 405, 323, 301, 303 व 644 कुल रकबा 162 बीघा 14 बिस्वा भूमि मोडा वल्द जवाना, जोगा वल्द चमना कौम चौधरी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है । वादिया ने अपने वाद के समर्थन में स्वंय अपने तथा गणेशा व भूराराम के बयान भी करवाये है । इन गवाहों ने अपने बयानों में विवादित आरायिजात मोडा की वंशानुगत होना बताया है । इसके विपरीत प्रतिवादी/अपीलांट ने विवादित आराजियात बाबत् बख्शीशनामा की नकल पेश की है । प्रतिवादी/अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित आराजियात खातेदार मोडा को आवंटित हुई हो अथवा उसके स्वंय द्वारा क्रय की गई हो जिसके आधार पर उसकी स्वअर्जित आराजियात है । विवादित आरायिजात पुश्तैनी होने से मोडा को किसी एक के पक्ष में संपूर्ण आराजियात बख्शीश करने का विधिक अधिकार नहीं था । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि वादिया द्वारा अपीलांट के पक्ष में तस्दीक नामांतकरण को चुनौती नहीं दी गई है इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि नामांतकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, नामांतकरण के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार सृजित नही होते है। परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजियात मोडा की स्वअर्जित होने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद केवल मात्र बख्शीशनामे के आधार पर वादिया/रेस्पो0 1 का वाद खारिज किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्या0) जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है । ऐसी स्थिति में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत है । विद्वान अधिवक्ता

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2006 (1) आर0आर0टी0 पेज 19 के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने से उक्त दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होता है ।

8— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांटस खारीज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प जालौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 08.09.2004 की पुष्टि की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष